

व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा विज्ञापन तिथि:- 02.10.2015

विज्ञापन संख्या:-01/2015 अंतिम तिथि 05-11-2015

लोहरदगा न्यायमंडल में रिक्त चतुर्थवर्गीय कर्मचारी (अनुसेवक, प्रोसेस सर्वर/रात्रि प्रहरी/दफ्तरी) एवं चालक के स्थायी पदों पर अस्थायी नियुक्ति के लिए निम्नवत् प्रारूप में योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

1. चतुर्थवर्गीय कर्मचारी:- (अनुसेवक:-2, प्रोसेस सर्वर:-9, रात्रि प्रहरी: 1, दफ्तरी:-1)

कुल रिक्तियों की संख्या-तेरह (13), जो भविष्य में घट-बढ़ सकती है।

वेतनमान:-पे बैंड-5200-20200/-, ग्रेड पे-1800/- (साथ में नियमानुसार अन्य देय भत्ता)

2. चालक:-कुल रिक्तियां-एक (01)
वेतनमान:-पे बैंड-5200-20200/-, ग्रेड पे-1900/- (साथ में नियमानुसार अन्य देय भत्ता)

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। चालक हेतु वाहन चालन का वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त रहना आवश्यक होगा तथा कम-से-कम पाँच वर्ष से गाड़ी चलाने का अनुभव अनिवार्य है, यातायात विनियमन की अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा, वाहन की सामान्य मरम्मत की जानकारी रहना आवश्यक होगा।

आवेदक की योग्यता:-

(1) आवेदक को शारीरिक रूप से परिश्रमी एवं कठिन कार्य हेतु सक्षम होना चाहिए तथा उसे साइकिल चलाने आना चाहिए। लोहरदगा जिला के अधिकांश दुरुह क्षेत्र में यातायात व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, प्रोसेस सर्वर से यह अपेक्षा होती है कि वह औसतन प्रतिदिन लगभग 50 किलोमीटर साइकिल चलाकर न्यायालय के प्रोसेस को प्रतिदिन तामिल कर सकेगा। अनुसेवक हेतु (बिजली मिस्त्री, रसोइया, गाड़ी चलाने आदि विशेष योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिया जाएगा)

(2) आवेदक स्वस्थ, अच्छे नैतिक चरित्र का हो तथा किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले में शामिल या उससे संबंधित नहीं हो।

(3) आवेदक की उम्र दिनांक 01.08.2015 को

सामान्य जाति	18-35
अत्यंत पिछड़ा जाति	18-37
अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति	18-40
महिला वर्ग	18-38

(4) झारखण्ड राज्य सरकार का जिलावार आरक्षण नियमानुसार लागू होगा। चालक पद के एकल होने की स्थिति में आरक्षण लागू नहीं होगा।

(5) झारखण्ड राज्य के विद्यालय से शिक्षा प्राप्त तथा इस राज्य के आवासीय प्रमाण पत्र धारक ही इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं।

अनुलग्नक:-

(1) दो पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें एक आवेदन पत्र पर चिपका हो तथा स्व-अभिप्रमाणित हो।

(2) दो लिफाफा (24cm x 11cm) जिसमें आवेदक का पता लिखा हो तथा दोनों पर 40/- रु० का डाक टिकट लगा हो।

महत्वपूर्ण सूचना:-

(1) आवेदकों की नियुक्ति का आधार व्यक्तित्व परीक्षण होगा तथा उसके आधार पर कुल रिक्तियों के चार गुणा उम्मीदवारों को कार्य कौशल परीक्षा लेकर अंतिम चयन किया जाएगा।

(2) आवेदक को कौशल परीक्षा हेतु अपनी साइकिल सहित उपस्थित होना होगा।

(3) चालक पद के लिए नियमानुकूल वाहन चालन परीक्षण किया जायेगा।

(4) प्रवेश पत्र डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(5) व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाये जाने पर कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

(6) नियुक्ति समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(7) आवेदक विहित प्रपत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन भर कर दिनांक 05.11.2015 के कार्यावधि तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के माध्यम से कार्यालय के पते पर भेजेंगे। इसके पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक विज्ञप्ति में वर्णित शर्तों के अनुरूप विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं भरने पर अथवा त्रुटि पाये जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

(8) चयन के बाद चिकित्सीय जाँच में सफल नहीं होने पर चयन रद्द कर दिया जायेगा।

(9) आवेदन भेजने का पता:-

सेवा में,
श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा, पिन कोड-835302
विज्ञापन संबंधी जानकारी व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा के
Website-http://ecourts.gov.in/Lohardaga पर उपलब्ध है।

आदेशानुसार
प्रभारी न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा

विहित-प्रपत्र

व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा, झारखण्ड
चतुर्थवर्गीय कर्मचारी (अनुसेवक/प्रोसेस सर्वर/रात्रि प्रहरी/दफ्तरी) एवं
चालक हेतु।

फोटो

सेवा में,

श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा।

आवेदित पद का नाम:.....

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि.....
4. कोटि (आरक्षित/अनारक्षित).....
5. वर्ग (आरक्षण के उम्मीदवार अपने जाति/संवर्ग का उल्लेख करें).....
6. स्थायी पता.....
7. वर्तमान/पत्राचार का पता.....
8. शैक्षणिक योग्यता.....
9. विशेष योग्यता.....
10. अनुलग्नक:-1.....2.....
11. कार्य का अनुभव :-

स्थान:-.....

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर

उद्घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में वर्णित सभी तथ्य सही हैं। यदि कोई तथ्य/जानकारी असत्य पायी जाए तो मेरी पात्रता/चयन बिना किसी नोटिस के रद्द किया जा सकता है, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। भविष्य में भी उक्त तथ्य के असत्य पाये जाने पर मेरी सेवा बिना कारण-पृच्छा के समाप्त की जा सकती है तथा मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और न ही कोई आपराधिक मामला भारत के किसी भी अदालत में लम्बित है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट:- जिला नियोजनालय, लोहरदगा के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा पर प्राथमिकता से विचार किया जायेगा।